क्रम संख्या–263

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018

पौष 3, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 2573/79-वि-1–18-1(क)-26-18
लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा 7क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिए अथवा औद्योगिक विकास के किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य देश को निर्यात के लिए शीरे की आवश्यकता हो, उस प्रयोजन, जिसके लिए यह अपेक्षित है, को विनिर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को विहित रीति से आवेदन कर सकता है।"

धारा 8 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा सम्भरित करने की अपेक्षा करेगी जिसे उसकी अपेक्षा, अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य देश को निर्यात के लिए, हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों द्वारा उत्पादित शीरा के भण्डारण, संरक्षण एवं श्रेणीकरण पर नियंत्रण रखने और उसकी आपूर्ति एवं वितरण के विनियमन का उपबन्ध करने के लिये, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964) अधिनियमित किया गया है। राज्य में गन्ना के अत्यधिक उत्पादन के मामले में शीरा के अपव्यय को रोकने, और चीनी मिलों में शीरा की सीमित भण्डारण क्षमता की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि अन्य देशों को प्रशासनिक प्रभारों के आधार पर अतिशेष शीरा के निर्यात हेतु अनुज्ञात करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाए।

तदनुसार उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 2573(2)/LXXIX-V-1–18-1(Ka)26-18
Dated Lucknow, December 24, 2018

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 44 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2018.

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN
(TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2018
(U.P. ACT NO. 44 OF 2018)
[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964.

It is hereby enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and extent

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2018.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

2. In section 7A of the Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 hereinafter referred to as the principal Act *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :– Amendment of section 7A of U.P. Act no. 24 of 1964

''(1) Any person, who requires molasses for his distillery or for any other purpose of industrial development or for export to any other country, may apply in the prescribed manner to the Controller specifying the purpose for which it is required.''

3. In section 8 of the principal Act, in sub-section (2) *for* clause (a), the following clause shall be *substituted,* namely :– Amendment of section 8

''*(a)* shall require supply to be made only to a person who requires it for his distillery or for any purpose of industrial development or for export to any other country.''

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran Adhiniyam, 1964 (Uttar Pradesh Act no. 24 of 1964) has been enacted to provide for the control of storage, preservation and gradation of molasses produced by sugar factories in Uttar Pradesh and the regulation of supply and distribution thereof. With a view to avoiding wastage of molasses in case of excess production of sugarcane and limited storage capacity of the molasses in the sugar mills of the State, it has been decided to amend the said Act to allow for export of the surplus molasses to other countries on payment of administrative charges.

The Uttar Pradesh Sheera Niyantran (Tritiya Sanshodhan) Vidheyak, 2018 is introduced accordingly.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 434 राजपत्र–(हिन्दी)–2018–(1122)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 119 सा0 विधायी–2018–(1123)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।